

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- मंडोला

प्रकरण संख्या:- 280/25

दिनांक:- 3-10-2025

उनवान

श्री गुलशरीराम पुत्र  
किशनलाल जातिशुर्कर

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का मंडोला भू अ. नि. बारावाड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशाषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम मंडोला प.0 ह.0 मंडोला की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 47 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र. सं. | अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि) | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)     | शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है। |
|----------|--|--|---|
|          | नाम व पिता का नाम  | <u>गुलशरीराम पुत्र</u><br><u>किशनलाल</u> | <u>गुलशरीराम पुत्र</u><br><u>किशनलाल</u>                |

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री गुलशरीराम पुत्र किशनलाल ।

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)

